प्रकरण संख्या 104/2024 पेमा व अन्य बनाम मोडा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कलोडिया, तहसील गिर्वा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 1044 से 1061, 231, 607 से 615, 626 व 652 कुल किता 30 रकबा 2.2050 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 11 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का (1/24 + 1/36) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 का (1/24 + 1/36) हिस्सा निहित है। श्रीमती फूली पत्नी भेरा की मृत्यु हो चुकी है, जिसका 1/36 वां हिस्सा उनके पुत्र शंकर व भंवर में न्यायगमन हो चुका है। पक्षकारान उक्त हिस्से अनुसार विवादित आराजियात पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2022 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31.01.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.09.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बी. आर. पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये विभाजन किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को सर्वप्रथम दिनांक 08.09.2024 को तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने कब्जा खाली करने का कहा। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का युक्ति–युक्त कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव से पूर्व अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी है। उक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है एवं इसके आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि सूचना देने के उपरान्त भी अपीलान्टगण मौके पर नहीं आये। अंतिम डिक्री मौके पर कब्जे अनुसार जारी की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्टगण को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है तथा बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षक व [illegible] हल्का द्वारा तैयार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर तहसीलदार गिर्वा को नियुक्त किया गया था। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 89/2021 में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान को विधिवत सूचना पत्र जारी कर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार गिर्वा स्वयं तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर यदि किसी पक्षकार की आपत्ति है तो सर्वप्रथम उसका निराकरण कर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested